



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/ माघ 28, 1938

No. 461]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

का.आ. 513(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 185 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में -

(क) पैरा 1 के, उप पैरा (क) में, मद सं.° (v) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(v) आईएस 2026 (भाग -I) के अनुसार शॉर्ट सर्किट परीक्षण, जहां कहीं लागू हो, आईएस 1180 में यथा विनिर्दिष्ट सभी संशोधनों के साथ”;

(ख) पैरा 2 के, उप पैरा (2) में, शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों 'सारणी 1 (31 दिसम्बर 2016 तक विधिमान्य)', 'सारणी 2 (1 जनवरी 2017 से प्रभावी)' और 'सारणी 3 (1 जनवरी 2017 से प्रभावी)' के स्थान पर 'सारणी 1 (30 जून 2017 तक विधिमान्य)', 'सारणी 2 (1 जुलाई 2017 से प्रभावी)' और 'सारणी 3 (1 जुलाई 2017 से प्रभावी)' शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) पैरा 3 के, उप पैरा (2) का लोप किया जाएगा

[फा. सं. 13/28/2015-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 185(अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 4062(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2017.

S.O. 513(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O.185(E), dated the 12th January, 2009, namely:-

In the said notification,-

(A) in paragraph 1, in sub-paragraph (a), for item (v), the following shall be substituted:-

“(v) short-circuit test as per IS 2026 (part I), wherever applicable, as specified in IS 1180 (part I), with all amendments”;

(B) in paragraph 2, in sub-paragraph (2), for the words, figures, brackets and letters “Table 1 (Valid up to 31st December, 2016)”, “Table 2 (Effective from 1st January, 2017 onwards)” and “Table 3 (Effective from 1st January, 2017 onwards)”, the words, figures, brackets and letters “Table 1 (Valid up to 30th June, 2017)”, “Table 2 (Effective from 1st July, 2017 onwards)” and “Table 3 (Effective from 1st July, 2017 onwards)” shall respectively be substituted;

(C) in paragraph 3, sub-paragraph (2) shall be omitted.

[F. No.13/28/2015-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* Notification number S.O.185(E), dated the 12th January, 2009, and last amended *vide* notification number S.O. 4062(E), dated the 16th December, 2016.